न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **Page 1 of 1.** **स्वत्व वाद सं0-17/16**
अवर न्यायाधीश तृतीय I/c **सीआईएस संख्या -765/18**
अरेराज, पूर्वी चम्पारण। **आदेश** **दिनांक 06.05.2024**

दिनांक 06.05.2024 वाद पुकारा गया। मामले में उभय पक्षों की हाजिरी है। प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा दिनांक 23.03.2024 को व्य0प्र0सं0 की धारा 151 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है।

मामले में वादी की तरफ से कहा गया कि प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 14.06.2015 को निषेधाज्ञा आदेश पारित कर प्रतिवादीगण को विवादित जमीन में स्थित आम के पेड़ों के वादी के उपयोग में किसी व्यवधान करने से रोक दिया गया पंरतु प्रतिवादीगण उस आदेश का उल्लंघन करते रहे। यह कि फलस्वरूप वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध विविध वाद सं 2/17 इसी न्यायालय में दायर कर रखा है यह कि विवादित जमीन में स्थित आम तोड़वाने के लिए वादी ने 2017 में आवेदन दिया था जिस पर दिनांक 22.06.2017 को आदेश हुआ और खर्च की राशि जमा करने का आदेश हुआ । यह कि 2018 में भी ऐसा आदेश हुआ । 2020–21 में लॉकडाउन के कारण ऐसा आदेश नहीं हो सका अतः न्यायालय से निवेदन है कि वादी को दो पुरुष और महिला पुलिस का खर्च जमा करने का आदेश देने की कृपा की जाए। जिससे मई के अंतिम सप्ताह एवं जून के प्रथम सप्ताह आवश्यकतानुसार विवादित जमीन में स्थित आम का पेड़ के फल तैयार होने से पहले इनकी नियुक्ति के लिए पत्र निर्गत किया जाए।

मामले में वादी के आवेदन का विरोध किया और अपने प्रतिउत्तर में कहा कि वादी द्वारा बार बार इस आशय का आवेदन दिया जाता है ताकि मुकदमा में देर होता रहे और जब वादी का आवेदन मंजूर होता है तो वादी द्वारा पुलिस बल का रूपया न तो जमा किया जाता है और न ही जमा न करने का कोई लिखित कारण होता है। यह कि आम का वृक्ष काफी पुराना है और कम फलता है और वादी आम के फलों का उचित रख रखाव नहीं करते हैं और देख रेख के आभाव में आंधी आदि चलने पर फल गिर जाता है । यह कि हर साल आधा वर्ष इसी आवेदन में बीत जाता है और वादी गवाही नहीं लाते हैं । यह कि इस संबंध में एक मुकदमा विविध वाद सं 2/17 विचाराधीन है अतः वादी के आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाए।

मामले में उभय पक्षों को सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि वादी द्वारा दिनांक 23.03.24 को जो आवेदन दिया गया वह यह कहते हुए दिया गया कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक **14.06.2015** को निषेधाज्ञा आदेश पारित हुआ था न्यायालय अभिलेख का अवलोकन करने के बाद यह पाती है कि प्रस्तुत वाद न्यायालय में दिनांक 25.02.2016 को प्रस्तुत किया गया इस प्रकार से ऐसा वाद जो 25.02.16 को प्रस्तुत किया गया उस वाद में 14.06.2015 को निषेधाज्ञा आदेश पारित होने का सवाल ही नहीं उठता । अतः वादी का आवेदन शरारतपूर्ण तथा लापरवाही से भरा है वादी द्वारा जानबूझकर गलत नियत से त्रृटिपूर्ण आवेदन देकर न्यायालय का बहुमूल्य समय बरबाद किया गया अतः प्रस्तुत न्यायालय वादी के विरुद्ध 3000रु खर्चे लगाती है खर्चे की यह रकम मोतिहारी जिला न्यायालय के नजारत में जमा किया जाएगा । प्रस्तुत आवेदन दिनांक 23.03.2024 को **अस्वीकृत करती है।** साथ ही साथ वादी को निर्देश देती है कि प्रस्तुत मामले में अपना साक्ष्य तीन तिथियों में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे जिससे विगत 8 वर्षों से विचाराधीन प्रस्तुत वाद का शीघ्रता के साथ निस्तारण हो सके । कार्यालय को निर्देश दिया **जाता है कि किसी भी स्थिति में प्रस्तुत वाद में 15 दिन से कम या अधिक की तिथि निर्धारित न करे और वादी अपना साक्ष्य शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करें। वाद दिनांक 21.05.2024** .....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित तथा संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश तृतीय
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)